राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :—219/2012

समदर्शन पाण्डे

—अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. पुलिस महानिदेशक, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 24.04.2024

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : अनुपस्थित

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : डॉ. पुष्पेन्द्र पाल सिंह, अति.राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :— अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)

चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने आदेश दिनांक 14.07.2010 (अनुलग्नक—1) को चुनोती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को अनिवार्य सेवानिवृति प्रदान की गई है। इसके अलावा अपीलार्थी ने आदेश दिनांक 09.10.2010 को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी के अनिवार्य सेवानिवृत्ति के विरूद्ध प्रस्तुत अभ्यावेदन को खारिज किया गया। अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी की नियुक्ति उप निरीक्षक पुलिस (सीई) के पद पर दिनांक 24.03.1984 को हुई थी। इसके पश्चात अपीलार्थी को आदेश दिनांक 07.12.1997 से निरीक्षक के पद पर पदोन्नति दी गयी। अपीलार्थी को 9 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर चयनित वेतनमान का लाभ भी प्रदान किया गया। अपीलार्थी को समय—समय पर प्रशस्ति पत्र एवं रिवॉर्ड भी प्रदान किये गए। अपीलार्थी को सेवाकाल के दौरान 40 बार नकद रिवॉर्ड प्राप्त हुए है और करीब 29 बार प्रशस्ति पत्र प्राप्त हुये हैं। अपीलार्थी ने सेवाकाल में रेंज स्तर पर एवं राज्य स्तर पर कई प्रशिक्षण प्राप्त किए। उक्त प्रशिक्षण अपीलार्थी के सेवाभिलेख में दर्ज किये गए। अपीलार्थी ने कई बार खेल—कूद प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसमें उसने प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त किया। अपीलाार्थी की ओर से यह भी कथन रहा है कि आंतरिक स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा अपीलार्थी के वर्ष 1999 से 2007 तक सेवाभिलेख पर गौर किया गया है, जबकि पुराने रिकॉर्ड को नहीं देखा जा सकता था। केवल गत सात वर्षों का रिकॉर्ड ही देखा जा सकता था। गत सात वर्षों के रिकॉर्ड में अपीलार्थी का कार्य मुल्यांकन प्रतिवेदन अच्छा, बहुत

अच्छा, संतोषजनक इंद्राज है। गत सात वर्षों का कार्य मुल्यांकन प्रतिवेदन प्रतिकूल नहीं है और न ही खराब है। रिव्यू कमेटी द्वारा अपनी अभिशंषा में सीसीए नियम–17 के तहत 15 शास्तियों एवं सीसीए नियम–16 के तहत 4 शास्तियों का उल्लेख किया है एवं वर्ष 2008–09 के कार्य मुल्यांकन प्रतिवेदन को प्रतिकूल होना बताया है। अपीलार्थी की ओर से यह अंकित किया गया है कि वर्ष 2008–09 के कार्य मुल्यांकन प्रतिवेदन संतोषजनक रहा है, वह प्रतिकूल नहीं था। अपीलार्थी को वर्ष 2008–09 के कार्य मुल्यांकन प्रतिवेदन की प्रति सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त हुई, जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी के खिलाफ जो प्रतिकूल प्रविष्ठियां की गई है, उस स्थान पर किसी भी अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है। अपीलार्थी ने उक्त कार्य मुल्यांकन प्रतिवेदन वर्ष 2008–09 में प्रतिकूल टिप्पणी के विरूद्ध अपनी असहमति जाहिर करते हुए अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया और यह अंकित किया कि उन्होंने आज तक अनुशासनहीनता का कार्य नहीं किया। अपीलार्थी के विरूद्ध कोई शिकायत नहीं की गई और अंकित टिप्पणी को उसके विरूद्ध नहीं पढ़ा जाए। अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अपीलार्थी ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश के विरूद्ध अपील विभाग में प्रस्तुत की, जिसमें अपीलार्थी को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए बुलाया गया। उक्त अपील को आदेश दिनांक 06.02.2012 के द्वारा खारिज किया गया, जिसमें यह माना गया कि अपीलार्थी के विरूद्ध सीसीए नियम–17 के तहत 15 दण्ड एवं सीसीए नियम–16 के तहत 4 दण्ड है। गोपनीय अभिलेख संतोषजनक नहीं है एवं स्क्रीनिंग कमेटी एवं रिव्यू कमेटी के द्वारा दी गई अनुशंषा एवं संपूर्ण अभिलेख के आधारों पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति को राज्य सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की सहमति प्राप्त करके अपीलार्थी को पुलिस सेवा के लिए अनुपयुक्त माना गया है और अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्रदान की गई है, जो उचित है। अपीलार्थी ने यह कथन किया है कि सेवानिवृत्ति से पूर्व के पांच वर्षों का सेवाभिलेख देखा जाना चाहिए था, जो अच्छा, बहुत अच्छा, संतोषजनक रहा था, परंतु दुर्भावनापूर्वक अपीलार्थी को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई। अपीलार्थी को वर्ष 1977 में निरीक्षक के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई। ऐसे में लघु शास्ति जो उसे पूर्व दी गई थी, उसका प्रभाव खत्म हो जाता है और उक्त लघु शास्तियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आधार नहीं बनाया जा सकता।

2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 14–7–2010 के द्वारा अपीलार्थी को मिले दण्डों एवम् कार्यशेली एवम् राजकार्यों में अरूचि के आधार पर प्रशासनिक कारणों से अन्तर्गत 15 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर एवम् 50 वर्ष की आयु पूर्ण करने के

बाद राजस्थान सिविल सेवा पेन्शन नियम–1996 के नियम 53 (1) के अनतर्गत अनिवार्य सेवानिवृत 3 माह का नोटिस वेतन प्रदान करते हुए प्रदान की गयी है। उक्त आदेश में किसी भी प्रकार की अनियमितता अथवा नियमों का उल्लंघन नही है और अपीलार्थी किसी प्रकार की अनियमितता अथवा नियमों का उल्लंघन स्थापित करने में असफल रहा है। अतः अपील अपीलार्थी निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी द्वारा अनिवार्य सेवानिवृति आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अभ्यावेदन को विभाग द्वारा नियमानुसार परीक्षण करने, साक्ष्य तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का नियमानुसार निस्तारण आदेश दिनांक 9–2–2012 के द्वारा करते हुए अपीलार्थी को सूचित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की दुर्भावना अथवा नियमों का उल्लंघन नहीं है। अपीलार्थी का सेवाकाल कलंकित ही नहीं बल्कि निरन्तर कलंकित रहा है। अपीलार्थी को जो अनिवार्य सेवानिवृति दी गई है वह आन्तरिक स्केनिंग कमेटी एवम् रिव्यू कमेटी की सिफारिश के अनुसार ही प्रदान की गयी है और राज्य सरकार के द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार नियमों की पालना करते हुए अपीलार्थी को जनहित में अनिवार्य सेवानिवृति दी गयी है। राज्य सरकार द्वारा राज्य कर्मवारी/अधिकारियों को अच्छा कार्य करने पर पुरस्कृत किया जाता है एवं वेतन, भत्ते इत्यादि दिये जाते है व कर्मचारी/अधिकारी द्वारा राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के विरुद्ध कार्य करने पर नियमानुसार सीसीए नियमों के तहत कार्यवाही की जाकर दण्डित किया जाता है। वर्तमान अपील में अपीलार्थी को अच्छा कार्य करने पर पुरस्कृत/रिवार्ड प्रदान किए गए है जो कि एक सामान्य पुलिस अधिकारी/कर्मचारी को दिये जाते है। अपीलार्थी द्वारा नियम विरूद्ध कार्य करने पर 19 बार सीसीए नियमों के तहत दण्डित भी किया गया है। अपीलार्थी को अनिवार्य सेवानिवृति अपीलार्थी की सम्पूर्ण सेवा अभिलेखों का अवलोकन करने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा गठित स्क्रीनिंग कमेटी, रिव्यू कमेटी की सिफारिश के आधार पर अनिवार्य सेवानिवृत किया गया है जिसमें किसी प्रकार की दुर्भावना अथवा नियमों का उल्लंघन नही है न ही उक्त तथ्य अपीलार्थी वर्तमान अपील में साबित ही कर पाया है। अपीलार्थी को अनिवार्य सेवानिवृति राजकीय नियमों के अनुसार ही जनहित में दी गयी है। अनिवार्य सेवानिवृति राज्य सरकार के द्वारा नियमानुसार गठित आन्तरिक स्केनिंग कमेटी एवम् रिव्यू कमेटी की अनुशंषा पर जनहित में दी गयी है, जिसमें कमेटी ने नियमानुसार अपीलार्थी के पूरे सेवाकाल के रिकॉर्ड का भली भांति अवलोकन एवं परीक्षण किया गया है, गठित कमेटी द्वारा अपीलार्थी को अनिवार्य सेवानिवृति की अनुशंषा पर सेवानिवृत किया गया है। अपीलार्थी सेवा के दौरान अपने कर्तव्यों की पालना

नहीं करना, अपने उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना करना, कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतना इत्यादि को ध्यान में रखते हुए ही गहनता से विचार कर सेवानिवृति दी गयी है जो कि पूर्णतः नियम सम्मत है। अपीलार्थी को जो 19 बार सीसीए नियमों के तहत दण्डित किया गया है, उसका उल्लेख भी प्रत्यर्थी विभाग ने अपने जवाब में बताया है। उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने की प्रार्थना की है।

3. हमनें दोनों पक्षों को ध्यानपूर्वक सुना। समस्त पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

4. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से दिये गये जवाब से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी को सेवाकाल के दौरान सीसीए नियमों के तहत 19 बार दण्डित किया जा चुका है। इस तथ्य का कोई खण्डन अपीलार्थी ने नहीं किया है। जवाब में यह भी अंकित किया है कि अपीलार्थी की सम्पूर्ण सेवाकाल के रिकॉर्ड का भलीभांति अवलोकन एवं परीक्षण किया गया है एवं उसके पश्चात स्क्रिनिंग कमेटी एवं रिव्यू कमेटी की अनुशंषा के आधार पर सेवानिवृति प्रदान की गयी है। अनिवार्य सेवानिवृत्त के प्रकरणों में न्यायालय के द्वारा किन परिस्थितियों में हस्तक्षेप या पुर्नविलोकन किया जा सकता है, इस विषय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक महत्त्वपूर्ण न्यायिक विनिश्चय 1992(2) एस.सी.सी. पेज 299 **बैकुण्ठनाथ दास बनाम मुख्य जिला स्वास्थ्य अधिकारी, बरीपदा** के प्रकरण में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किये गए हैं:–

i. अनिवार्य सेवानिवृत्ति कोई दण्ड नहीं है, यह कार्मिक पर कोई दाग नहीं होता है ना ही यह उसके दुर्व्यवहारी होने का अनुमान इंगित करने वाला होता है।

ii. इस हेतु सरकार को यह राय कायम करनी होती है कि किसी कर्मचारी को अनिवार्य सेवानिवृत्त करना लोकहित में है व उक्त राय के आधार पर आदेश पारित करना होता है। यह आदेश सरकार के विषयात्मक संतुष्टि (Subjective Satisfaction) के आधार पर जारी किया जाता है।

iii. अनिवार्य सेवानिवृत्त हेतु प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त का कोई स्थान या भूमिका नहीं होती है परन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि उक्त आदेश न्यायिक संवीक्षा से बाहर है। न्यायालयों द्वारा सेवानिवृत्ती के आदेश की समीक्षा अपीलीय न्यायालय की तरह नहीं की जा सकती है परन्तु यदि आलोच्य आदेश (A) दुर्भावनापूर्ण हो (B) बिना साक्ष्य आधारित हो (C) इस प्रकार का मनमाना हो कि युक्तियुक्त व्यक्ति भी यह अनुमान/राय बना ले कि उक्त आदेश मनमाना है अर्थात् दुराग्रहपूर्ण है।

iv. सरकार या रिव्यू कमेटी इस प्रकार का कोई भी निर्णय लेने से पूर्व कार्मिक का सम्पूर्ण सेवा रिकॉर्ड विचार में लेगी व उक्त रिकॉर्ड में भी बाद के वर्षो के रिकॉर्ड पर ज्यादा महत्व प्रदान किया जायेगा। इस रिकॉर्ड में कार्मिक का गोपनीय प्रतिवेदन/ चरित्र प्रतिवेदन (अनुकूल व प्रतिकूल दोनों ही) शामिल होते हैं। यदि किसी कार्मिक को किन्हीं प्रतिकूल प्रविष्टियों के उपरान्त भी उच्च पद पर पदोन्नत कर दिया जाता है तो ऐसी प्रविष्टियां अपनी प्रतिकूलता/विष–डंक खो देती है, वह भी उस स्थिति में अधिक जहां पर कि ऐसी पदोन्नति मेरिट पर, ना कि वरिष्ठता के आधार पर आधारित हो।

v. कोई न्यायालय केवल इस आधार पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश को अपास्त नहीं कर सकता कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु जिन प्रतिकूल रिमार्क/प्रविष्टियों को विचारणार्थ लिया गया था, वे रिमार्क/प्रविष्टियां कर्मचारी को संसूचित नहीं की गयी थी।

इस प्रकार कोई न्यायालय अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश में हस्तक्षेप आधार संख्या (iii) में वर्णित आधार पर ही कर सकता है।

5. उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत में यह स्पष्ट है कि सेवानिवृति के मामले में सरकार को लोकहित में अपनी राय कायम करनी होती है, जो कि विषयात्मक संतुष्टि के आधार पर कायम की जानी होती है और ऐसा करने के लिए संपूर्ण सेवाभिलेख पर विचार करना होता है। प्रत्यर्थी विभाग के जवाब से स्पष्ट है कि अपीलार्थी का सम्पूर्ण रिकॉर्ड देखा गया था, जिसमें 19 बार दण्डित किये जाने का भी रिकॉर्ड है। अपीलार्थी को पदोन्नति दिये जाने के आधार पर पुरानी शास्तियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्टेट ऑफ पंजाब बनाम गुरदास सिंह के मामले में ((1998)4 एस.सी.सी–92) में यह प्रतिपादित किया है किः–

"Any adverse entry prior to earning Promotion or crossing of efficiency bar or Picking up higher rank is not wiped out and can be taken into consideration while considering the overall performance of the employee during whole of his tenure of service whether it is in public interest to retain him in the service."

6. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त प्रतिवादित सिद्धांत के अनुसार यह स्पष्ट है कि पदोन्नति के पश्चात भी पुराने रिकॉर्ड को Wipe Out होना नहीं माना जा सकता है और कार्मिक का समस्त सेवाभिलेख देखा जाना उचित है। अपीलार्थी के सेवा रिकॉर्ड को देखकर स्क्रिनिंग कमेटी एवं रिव्यू कमेटी द्वारा जो निर्णय दिया गया है, उसे गलत होना नहीं माना जा सकता।

7. अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि अपीलार्थी के अच्छे सेवाभिलेख पर गोर नहीं किया गया, जिसके सम्बन्ध में प्रत्यर्थी विभाग का कथन रहा है कि अपीलार्थी के समस्त सेवाभिलेख पर गोर किया गया है। आंतरिक स्क्रिनिंग कमेटी के समक्ष समस्त सेवाभिलेख भेजा जाता है। तुलनात्मक दृष्टि से यदि आंतरिक स्क्रिनिंग कमेटी यह पाती है कि अपीलार्थी के विरूद्ध जो शास्ति आदेश समय समय पर पारित किये गये हैं, उनके आधार पर अपीलार्थी को सेवा में रखना लोकहित में उचित नहीं है तो ऐसे निर्णय पर अधिकरण द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

8. हमारे मत में आंतरिक स्क्रिनिंग कमेटी द्वारा समग्र सेवाभिलेख पर विचार कर निर्णय लिया है। आंतरिक स्क्रिनिंग कमेटी के निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई उचित आधार हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह नहीं माना जा सकता कि अपीलार्थी को अनिवार्य सेवानिवृत किये जाने के संबंध में कोई आधार मौजूद नहीं हो। हम यह पाते हैं कि ऐसे प्रकरणों में स्क्रिनिंग कमेटी के विवेक से लिये गये निर्णय में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

9. परिणामस्वरूप यह अपील खारिज किये जाने योग्य है। अतः यह अपील एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)